

आपत्ति नहीं आयी है । इसलिये आरोपी/आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।

आरोपी/आवेदक का कहना है कि आवेदक थाना मालनपुर पुलिस ने फरियादी से मिलकर एक झूंठा अपराध जमानती अपराध का दि0-29/10/2016 की घटना बताते हुए दि0-02/11/2016 को अपराध धारा-435 भा.दं.वि0 में कायम कर विवेचना में लिया और फरियादी व साक्षियों के कथन उपरांत आरोपी को गिरफतार कर मुचलके के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसके बाद बिना कोई जांच, कथन के दि0-16/12/2016 को अभियोगपत्र कता किया गया और अभियोगपत्र में धारा-436 भा.दं.वि0 के साथ इजाफा लिखकर पेश कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-435, 436 भा.दं.वि0 का संज्ञान लेकर जमानती वारण्ट जारी कर दिया। जिसके पालन में उसने दि0-16/03/2017 को न्यायालय में समर्पण कर दिया है तब से न्यायिक निरोध में है, वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्व ारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला दुकान में आगजनी कर नुकसान पहुंचाने का होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपी/आवेदक को नियमित जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा । अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

मूल प्रकरण एवं केस डायरी का अवलोकन किया विदित होता से अवलोकन फरियादी के मोहल्ले को दिनांक-28 / 10 / 2016 आरोपी/आवेदक बेतालसिंह शराब पीकर आया ओर फरियादी को अश्लील गालियां दी व ढेला (दुकान) नष्ट करने की धमकी दी। दि0-29/10/2016 को फरियादी ने अपनी दुकान में करीबन 10 हजार रूपये का सामान भरा था, रात करीब 11:56 बजे आरोपी/आवेदक बेतालसिंह पुत्र अयोध्या जाटव ने फरियादी की दुकान में आग लगा दी। फरियादी के परिवार ने पहले भी आरोपी/आवेदक बेतालसिंह के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। छोटी दीवाली होने से उसने ढेला जल्दी बंद कर दिया था, फरियादी रोजाना ढेला (दुकान) में ही पढता था और उसी में सो जाता था। त्यौहार के कारण वह घर के अंदर सो गया था।

फरियादी अमरेन्द्रसिंह जाटव ने दिनांक—30/10/2016 को इस आशय का लिखित आवेदनपत्र थाना प्रभारी मालनपुर को पेश किया जिसपर से पुलिस थाना मालनपुर में अपराध

> द्वितीय अपर सत्रे नेपायाधीश गोहव , जिला-निण्ड (म प्र )

## Order Sheet [Contd]

Case No. BA. 111. 1. of 2017...

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	क0—192/2016 अंतर्गत धारा—435 भा.दं.वि० का अपराध आरोपी/आयेदक वेतालसिंह के विरुद्ध नामजद पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना में धारा—436 भा.दं.वि० का इजाफा किया गया। प्रकरण में अभियोगपत्र पेश हो चुका है, आरोपी न्यायिक निरोध में है, हालांकि अभी प्रकरण में उपार्पण आदेश नहीं हुआ है, जिससे प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपी ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समर्पण किया है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी/आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।  अतः जमानत आवेदनपत्र बाद विचार स्वीकार किया जाता है। आरोपी की ओर से पचास हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंदपत्र धारा—437(3)जा.फौ. में उपबंधित शतों सहित पेश की जावे तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।  आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस हो। आवेश की प्रति थाना प्रभारी मालनपुर की ओर भेजी जावे।  प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।  (पी.सी. और)  द्वितीय अपर सन्न न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड	